राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–2429/2016/उदयपुर

मै0 जावर माईन्स एन्पलॉय कॉपरेटिव सोसाईटी लि0 उदयपुर .....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त, वार्ड–बी, उदयपुर। .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अभिषेक अजमेरा

अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री डी पी औझा

उपराजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 16.03.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त(प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'प्रशासनिक अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा प्रकरण संख्या 02/16–17/कर/उपा(प्र)उदय में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 34 के तहत पारित आदेश दिनांक 30.09.2016 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी का आलौच्य अवधि 2013–14 का कर निर्धारण आदेश सहायक आयुक्त, धट–बी, उदयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अधिनियम की धारा 24(4) के तहत दिनांक 28.06.2014 को एकतरफा आदेश पारित करते हुए राशि 707946/– की मांग कायम की गई। अपीलार्थी द्वारा इस आदेश दिनांक 28.06.2014 के विरूद्व प्रकरण को रिओपन करने हेतु प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। प्रशासनिक अधिकारी द्वारा यह निर्णित करते हुए कि अपीलार्थी को ई–माध्यम से, व्यवहारी के पंजीकृत ई–मेल पर नोटिस तामील कराया जा चुका है। अतः कर निर्धारण अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश नहीं होने से अपील आदेश दिनांक 30.09.2016 से अस्वीकार की गई। प्रशासनिक अधिकारी के इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील पेश की गई है।

3 उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक द्वारा कर निर्धारण अधिकारी व प्रशासनिक अधिकारी के आदेश का खण्डन करते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये ये आदेश पारित किये गये है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त के विरूद्व है। व्यवहारी अभिभाषक का कथन है उक्त सोसाइटी जावर मांईस के कार्यरत कर्मचारियों की है, जिसमें खरीद बिक्री कर्मचारियों को ही की जाती है व इसमे अधिकतर माल करमुक्त होता है। उनका कथन है कि व्यवहारी को किसी भी प्रकार का नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। अतः व्यवहारी की जानकारी/नोटिस तामील न होने की दशा में कर निर्धारण अधिकारी का आदेश विधिविरूद्व है, जिसे प्रशासनिक अधिकारी द्वारा भी पुष्टि

लगातार.....2.

16/03/18

करने में विधिक त्रुटि कारित की है। अतः प्रशासनिक अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर, व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने का निवेदन किया गया।

5. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी ने बहस के दौरान प्रशासनिक अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया है कि प्रशासनिक अधिकारी द्वारा विधि अनुकुल आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है अतः व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाये।

6 उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. प्रकरण में कर निर्धारण अधिकरी द्वारा व्यवहारी के आलौच्य वर्ष 2013–14 का कर निर्धारण आदेश एकतरफा पारित करते हुए रू0 707946/– की मांग कारित की गई। इस आदेश के विरूद्व अपीलीय अधिकारी के समक्ष अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन कर कर निर्धारण आदेश को पुनः रिऑपन करने का निवेदन करने पर प्रशासनिक अधिकारी द्वारा इस प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया गया।

8 प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2013–14 के कर निर्धारण करने के लिये ई–मेल से नोटिस दिनांक 28.06.2016 को जारी किया गया जिसमें सुनवाई दिनांक का कोई उल्लेख नहीं कर, नोटिस प्राप्ति के 30 दिवस में राशि जमा कराने के आदेश दिये गये। उक्त नोटिस किसे तामील करवाया गया है, इस सम्बन्ध में पत्रावली से कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। नोटिस पर तामीलकर्ता और न ही उनके किसी प्रतिनिधि के हस्ताक्षर है, राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक का कथन है कि अपीलार्थी व्यवहारी के नोटिस E-mail पर से भी भिजवाया गया था किन्तु इसकी पुष्टि में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी। ऐसी स्थिति में राजस्थान वेट नियम के नियम 50 के तहत् किसी भी माध्यम से अपीलार्थी पर तामील होना नहीं पाया जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अपीलार्थी को सुनवाई अवसर प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त विपरीत पारित गया। अतः कर निर्धारण अधिकारी का आदेश दिनांक 28.06.2016 व प्रशासनिक अधिकारी का आदेश दिनांक 30.09.2016 अपास्त किये जाने योग्य है।

9 परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील स्वीकार करते हुए उपायुक्त (प्रशासन) वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.09.2016 एवं कर निर्धारण अधिकारी का आदेश दिनांक 28.06.2016 अपास्त किये जाते हैं तथा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, इस आदेश प्राप्ति के 60 दिवस में नियमानुसार पुनः आदेश पारित करें। अपीलार्थी व्यवहारी को निर्देशित किया जाता है कि वह कर निर्धारण अधिकारी सहायक आयुक्त वृत्त बी, उदयपुर के समक्ष दिनांक 26.04.2018 को उपस्थित हो।

10 निर्णय सुनाया गया।

16/03/18

(राजीव चौधरी)
सदस्य